IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)
An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/SECY/STEX/124 **13th August 2019**

BSE Limited Listing Dept./ Dept of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 Scrip code / ID: **541956**	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block Bandra –Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 Scrip Code: **IRCON**

Sub: Publication of Notice of Annual General Meeting to be held on Tuesday, 3rd September, 2019

Dear Sir/Madam,

Copy of Notice of Annual General Meeting of Ircon International Limited scheduled to be held on Tuesday, 3rd September 2019 as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

Please take note of above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Ircon International Limited**

13/8/19

(Ritu Arora)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: FCS 5270

Financial Express
12.08.2019

RIFF ROLLBACK

ports of goods under P to US rise 32%: TPCI

JST OF INDIA
, August 11

OF INDIAN goods, e enjoying benefits preferential tariff P, to the US regis- wth of 32% in June, to Trade Promotion India (TPCI).

rolled back export over 1,900 Indian m June 5. These were provided by der its Generalised Preference (GSP) e.

the data from the ates International mission (USITC), it dian exports to the goods which were P benefits stood at nillion in June as to $495.67 million period last year.

exports to the US thdrawn products red 32% growth in as compared to the th last year," TPCI chairman Mohit Singla said in a statement.

This is a very interesting trend as out of $190 million value of GSP benefit claimed earlier, the growth has already covered $161.74 million, month on month for June 2019 compared to last year, leaving a thin margin of US $28.26 million only, he said.

The major products which have shown increase in exports include plastics rubber, base metals (aluminum), machines and equipments, transport equipment, hides and leather, Pearls and precious stones.

This is a clear indication that Indian products have the full potential to compete globally and not solely dependent on support, contrary to the perception, Singla said.

TPCI is a strong advocate of the phasing of subsidies and reducing government support.

He said the need is to incentivise new sunrise sectors like furniture and electrical, by creating a cluster-based mega ecosystem, which can churn export growth completely.

The era of continuing fixation of labour incentive sectors should be over, as their growths have already flattened, despite sustained support, he said.

Govt may allow 100% FDI in contract mfg: Sources

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 11

THE GOVERNMENT IS working on a proposal to allow 100% FDI in contract manufacturing with a view to attract overseas investments, sources said. According to the existing foreign investment policy, 100% foreign direct investment (FDI) is permitted in the manufacturing sector under the automatic route. A manufacturer is also allowed to sell products manufactured in India through wholesale and retail channels, including through e-commerce, without government's approval.

"The current policy does not talk about contract manufacturing and it is not clearly defined in the policy. Big technology companies across the world are going for this, so there is a need for a clarification on the matter which government is considering positively," they said. The commerce and industry ministry is working on a proposal that would be finalised soon and sent for Union Cabinet's approval.

Commenting on the proposal, Rajat Wahi, partner, Deloitte India, said the move if approved by the government will give a boost to the manufacturing sector. Finance minister Nirmala Sitharaman in her Budget speech in July had proposed relaxation in the FDI norms for certain sectors such as aviation, AVGC (animation, visual effects, gaming and comics), insurance, and single brand retail with a view to attract more overseas investment.

-strapped BSNL chasing of ₹3k cr from biz clients

JST OF INDIA
, August 11

SEVERE LIQUIDITY NL plans to aggressive outstanding dues erprise clients and is recover the bulk of crore receivables in o-three months, its aid.

ve comes at a time rat Sanchar Nigam facing mounting its financials, and it yed payment of salaries for the sec- this year. BSNL on had released July employees.

are outstandings terprise customers, nore than ₹3,000 e following up with ssively and on a day- renting out its premises at various locations — the target for rental income has been set at about ₹1,000 crore this year, from the previous level of ₹200 crore. As part of this plan, BSNL plans to increase utilisation of its existing buildings, and lease out more space.

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017, INDIA
Tel. No.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000, Web: www.ircon.org, E-mail: info@ircon.org
CIN: L45203DL1976GOI008171

Notice of 43rd Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Tuesday, 3rd September 2019 at 10.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010** to transact the businesses as set forth in the Notice. The Notice of AGM along with the Annual Report for the year ended on 31st March 2019 has been sent to the shareholders of the Company at their registered address/e-mail address. The Annual Report along with the notice of the AGM is also available at Company's website; www.ircon.org under the 'INVESTORS' section and on the website of Karvy Fintech Private Limited viz. https://evoting.karvy.com.

Notice is also hereby given that Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 28th August 2019 to Tuesday, 3rd September, 2019 (both days inclusive)**. The Final Dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the Annual General Meeting will be paid on **Wednesday, 18th September, 2019** to those Members, whose names appear on the Register of Members of the Company in respect of physical shares and in respect of dematerialized shares to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the close of business hours on **27th August, 2019**.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to its members in respect of items to be transacted at this AGM and in this regard, the Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited to provide the facility of electronic voting ('Remote e-Voting').

All the members are therefore hereby informed that:

1. **The remote e-voting period will commence on 31st August, 2019 (09.00 A.M. IST) and ends on 2nd September, 2019 (05.00 P.M. IST).** The remote e-voting module shall be disabled by Karvy Fintech Private Limited thereafter and the facility will be blocked forthwith.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting at the AGM will be **Tuesday, 27th August, 2019.** During remote e-voting period, shareholders of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 27th August, 2019 may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
3. Any Person who has acquired shares and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM but before the cut-off date i.e. 27th August, 2019, may obtain their user ID and password for remote e-voting from Company's Registrar & Transfer Agents, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachi bowli Financial District, Nanak ramguda, Hyderabad – 500 032, Phone No: 040 6716 2222, E-mail id: einward.ris@karvy.com, Toll Free No.: 18003454001 and Fax: 040 23420814.
4. Members who have cast their vote through remote e-voting facility prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. At the venue of the meeting, members who have not casted their vote through remote voting may cast their vote through ballot paper. The facility for voting by electronic voting system shall not be made available at the venue of the AGM.
5. Mr. Sachin Agarwal, Practicing Company Secretary partner of M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutiniser for conduct of the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com and In case of any other query, members are requested to contact: Shri S. V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachi bowli Financial District, Nanak ramguda, Hyderabad – 500 032 at the designated e-mail id: einward.ris@karvy.com or at following Telephone No. 040 6716 2222, 18003454001 (Toll Free) and Fax No. 040 23420814.

For Ircon International Limited
Sd/-
Ritu Arora
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 11.08.2019

Jansatta

शून्यकाल में उठे मुद्दे कार्रवाई के लिए मंत्रालयों को भेजे जाएंगे : लोकसभाध्यक्ष

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

संसद में शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों पर सरकार से जवाब नहीं मिलने की शिकायतों के बीच लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पहली बार लोकसभा में शून्यकाल में उठाए गए सभी विषयों को आगे की कार्रवाई और उत्तर के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेजने की पहल शुरू की गई है। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न दलों के सांसदों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि शून्यकाल और विशेष उल्लेख के तहत उनके द्वारा उठाए गए विषयों एवं मुद्दों पर उन्हें सरकार से जवाब नहीं मिलता।

राज्यसभा में हाल ही में सपा सांसद जया बच्चन ने मांग की थी कि हम यहां सिर्फ बोलते हैं और सरकार से जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में समयबद्ध तरीके से जवाब मिलना चाहिए। इसका कई सदस्यों ने समर्थन किया था। लोकसभा में आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन भी इस विषय को उठा चुके हैं । प्रेमचंद्रन का कहना है कि शून्यकाल के दौरान कई सदस्य अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े लोक महत्व के विषय को उठाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इन बिंदुओं पर संज्ञान ले और इन विषयों पर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। बसपा के दानिश अली का भी कहना है कि सरकार को शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देना चाहिए।

इस बारे में पूछे जाने पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने बताया, 'हाल में संपन्न सत्र में लोकसभा में शून्यकाल में उठाए गए सभी विषयों को आगे की कार्रवाई और उत्तर के लिए संबंधित मंत्रालयों को संदर्भित कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है।' उन्होंने कहा कि पहले शून्यकाल में उठाए गए विषयों को संदर्भित नहीं किया जाता था। अब ऐसी पहल की गई है। सदस्यों द्वारा उठाए गए कई विषय राज्यों से संबंधित होते हैं तो ऐसे विषय अलग होते हैं। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी शून्यकाल में उठाए गए विषयों के बारे में शिकायतों पर हाल ही में कहा था कि मंत्रियों को शून्यकाल में उठाए विषयों पर 30 दिनों में जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा (11 से 12 बजे) प्रश्नकाल कहलाता है जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं।

चाहते मुख के नाना

ा कि पार्टी की संसदीय
अमित भाई (भाजपा के
मत शाह) ने कहा कि
नना है कि मैं सबसे
। मैंने कभी उसकी
ारी आंखों में आंसू थे,
मंत्री पद जा रहा था
नहीं छोड़ने ही जा रहा
कहा कि उन्होंने सिर्फ
संवेदना पर काबू पाया
भाजपा कार्यालय नहीं
र्यकर्ताओं से नहीं मिल
कि वह आंदोलन
विद्यार्थी परिषद एवं
ांघ) के भविष्य को
ससे उनकी आंखों में
ने कहा, 'मैं बहुत कम
से जुड़ा और पार्टी ने
। छोड़ कर सब कुछ
पद के लिए उपयुक्त
ताओं और काबलियत

मुख्यमंत्री पर फूटा दुर्घटना में हताहत बच्चों के परिवार वालों का गुस्सा

नई टिहरी, 11 अगस्त (भाषा)।

टिहरी जिले में कंगसाली गांव में पांच दिन पूर्व स्कूल वाहन दुर्घटना में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देने तथा उनके परिजन से मिलने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री रावत ने एक-एक लाख रुपए के चेक बच्चों के परिवार वालों को दिए लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। गुस्साए परिवार वालों ने अपनी मांगों पर एक छह सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा पर उन्होंने उस पर गौर नहीं किया इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद देहरादून से कंगसाली गांव पहुंचे रावत केवल आधा घंटे में ही कार्यक्रम की इतिश्री कर वापस लौट गए। छह अगस्त को सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे में स्कूली बच्चों से भरा वाहन गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई तथा आठ अन्य घायल हो गए।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत
फोन नं.: +91-11-29565666, फैक्स नं.: +91-11-26854000, वेबसाइट: www.ircon.org, ई–मेल: info@ircon.org
सीआईएन:L45203DL1976GOI008171

43वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर अवधि और रिमोट ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 3 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010** में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कम्पनी के शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते / ई–मेल पते पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट: www.ircon.org पर 'निवेशक' खण्ड और कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 28 अगस्त, 2019 से मंगलवार, 3 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल)** बंद रहेंगे। निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित हो जाता है, तो उन सदस्यों को **बुधवार, 18 सितम्बर, 2019** को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम **27 अगस्त, 2019** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक शेयरों के संबंध में कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में और डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शेयरों के "लाभार्थी स्वामी" के रूप में शामिल होंगे।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है और इस संबंध में, कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई–वोटिंग') सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

इसलिए सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. **रिमोट ई–वोटिंग 31 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और 2 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) बंद होगी।** उसके बाद कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।
2. एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 होगी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि अर्थात् **मंगलवार, 27 अगस्त, 2019** को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद, सदस्य उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।
3. एजीएम की सूचना भेजने के बाद परंतु कट ऑफ तिथि या उससे पहले कम्पनी के अंशधारक अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032, फोन नं. 040 6716 2222, ई–मेल आईडी: einward.ris@karvy.com, टोल फ्री नं. 18003454001 एवं फैक्स नं. 040 23420814 से प्राप्त कर सकते हैं।
4. सदस्यगण जो बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देते हैं, वह बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वह दोबारा वोट नहीं कर सकते। बैठक के स्थान पर सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के स्थान पर उपलब्ध नहीं होगी।
5. ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप मे नियुक्त किया गया है।

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना में मुद्रित रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें। यदि ई–वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न हों तो, कृपया कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध हेल्प एंड एफएक्यू सैक्शन को देखें और किसी अन्य पूछताछ के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे श्री एस. वी. राजु, उप महाप्रबंधक, कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032, से पदनामित ई–मेल आईडी: einward.ris@karvy.com या निम्नलिखित फोन नं. 040 6716 2222, 18003454001 (टोल फ्री) एवं फैक्स नं. 040 23420814 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./–
रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 11.08.2019